

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर (छत्तीसगढ़)**

// आदेश //

क्रमांक 1495/अ.जि.द./2021

रायपुर, दिनांक 27/04/2021

स्वास्थ्य कारणों से मरीजों के आवागमन तथा कोविड-19 पॉजिटिव/संदिग्ध व्यक्तियों की मृत्यु पश्चात पार्थिव शरीर के परिवहन हेतु निजी व्यक्तियों द्वारा निजी एम्बुलेंस की आवश्यकता होने पर एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त वाहन का अधिकतम किराया निम्नानुसार शर्तों के अधीन निर्धारित किया जाता है :-


क.	विवरण	किराया आधा दिन 06 घंटे 50 कि.मी.	किराया प्रति दिन 100 कि.मी.	अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी.
1	टेम्पो ट्रेडर (फोर्स) टाटा विंगर 108 समतुल्य वाहन	1100.00	2000.00	14.00
2	टाटा सुमो एम्बुलेंस, बोलेरो, समतुल्य वाहन	900.00	1600.00	10.00
3	मारुती ओमनी, ईको, वेगनआर समतुल्य वाहन	600.00	1100.00	8.00

शर्त :-

1. प्रतिदिन किराया दर में वाहन 100 कि.मी. तथा प्रति अर्द्ध दिवस 50 कि.मी. चलित सम्मिलित है जिसमें पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
2. वाहन चालक का समस्त व्यय (वेतन भत्ता आदि) संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
3. कार्यालय राज्य शिष्टाचार अधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा निर्धारित शर्तों को मान्य करना होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

पृ. क्रमांक 1495/अ.जि.द./2021


कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर
रायपुर दिनांक 27/04/2021